उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-4

संख्या-02/2021/07भा0स0/का-4-2021-303/2020

लखनऊ:: दिनांक:: 21 अप्रैल,2021

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

विषय:- सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण **(कोविड-19)** के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था।

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण **(कोविड-19)** को रोकने के लिए राज्य सरकार के स्तर से पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2021/527/सामान्य-का-4-2021-303-2020, दिनांक 09अप्रैल,2021 के अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय,विधान परिषद सचिवालय,विधान सभा सचिवालय तथा विभिन्न निदेशालयों में कार्यरत अनुसचिव स्तर एवं उसके कनिष्ठ अधिकारियों,कर्मचारियों में तैनात **50** प्रतिशत कार्मिक कार्यालयों में उपस्थित हों और शेष **50** प्रतिशत कार्मिकों को घर से काम करने का निर्देश दिया जाय। उप सचिव एवं इससे उच्च स्तर के अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

1- कार्यालय में आने वाले कार्मिकों की संख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कार्यालय **समय का आवंटन तीन पालियों में निम्नानुसार किया जाय-**

(क) 09:00 बजे प्रात: से 05:30 सायं

(ख) 09:30 बजे प्रात: से 06:00 सायं

(ग) 10:00 बजे प्रात: से 06:30 सायं

2- सभी विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रक प्राधिकारी इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिन कार्यालयों में अनुसचिव स्तर के अधिकारी एवं अन्य तैनात 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा शेष **50** प्रतिशत घर से ही कार्य निष्पादित करें। इसके लिए कार्मिकों का रोस्टर तय किया जायेगा। इस संबंध में यह परामर्श दिया जाता है कि वह अपने यहां कार्यरत उक्त कार्मिकों का साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार बना लें कि ऐसे कर्मी **अल्टरनेट (वैकल्पिक)** सप्ताह में कार्यालय में आयें। कार्यालय आने वाले कार्मिकों का चिन्हीकरण करते समय घर से दूरी एवं कार्यालय आने में उपयोग किये जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- रोस्टर के अनुसार घर से कार्य सम्पादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहेंगे, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

4- यह दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं या **कोविड-19** के रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं।

5- सीढ़ियां,लिफ्ट एवं पार्किंग एरिया में भीड़ न लगने दी जाय, कार्यालय में सेनीटाइजेशन, मास्क,दो गज दूरी एवं अन्य उपाय अपनाये जायं।

6- मीटिंग यथा सम्भव वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाय। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश कार्यालय में वर्जित किया जाय तथा 45 वर्ष से अधिक के कार्मिकों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या-02(1)/2021/07भा0स0/का-4-2021-303/2020तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अपर प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं विधान परिषद,उत्तर प्रदेश ।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
(5) निदेशक,सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरूण कुमार दुबे,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in